

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

21/01/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री चोटो सुन्डी, पिता-स्व० छोटा सेलाये सुन्डी, ग्राम-नरसन्डा, थाना- मुफ्फसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-नरसन्डा, थाना-649, खाता नं०-109, प्लॉट नं०-1671, रकवा- 0.06 1/2 एकड़ भूमि क्रेता श्री सेलाये सुन्डी, पिता-स्व० दुलमु सुन्डी, ग्राम-नरसन्डा थाना- मुफ्फसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम हालसर्वे खतियान में दर्ज है। पिता, दादा के मृत्यु पश्चात् प्राप्त हिस्से की भूमि है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-26, दिनांक 09.01.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने एवं अन्य कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्री सेलाये सुन्डी, पिता-स्व० दुलमु सुन्डी, ग्राम-नरसन्डा, थाना-मुफ्फसिल के पास 1,30,000.00/- (एक लाख तीस हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफ्फसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुज्ञा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुज्ञा के आलोक में आवेदक चोटो सुन्डी, पिता-स्व० छोटा सेलाये सुन्डी, ग्राम-नरसन्डा, थाना- मुफ्फसिल, क्रेता श्री सेलाये सुन्डी, पिता-स्व० दुलमु सुन्डी, ग्राम-नरसन्डा, थाना- मुफ्फसिल के पास. 1,30,000.00/- (एक लाख तीस हजार) रुपये में मौजा-नरसन्डा, थाना-649, खाता नं०-109, प्लॉट नं०-1671, रकवा- 0.06 1/2 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।